Annexure to letter No 23011/15/2008-SG.II
dated May 18, 2009

Government of India
Ministry of Tribal Affairs

Procedure for seeking prior approval for diversion of forest land for non-forest purposes for facilities managed by the Government under Section 3(2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

Sub-section (2) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 provides that notwithstanding anything contained in the Forest (Conservation) Act, 1980, the Central Government shall provide for diversion of forest land for certain facilities managed by the Government, as specified in that Section, which involve felling of trees not exceeding seventy-five trees per hectare, provided that such diversion of forest land shall be allowed only if, -

(i) the forest land to be diverted for the purposes mentioned in the said sub-section is less than one hectare in each case; and

(ii) the clearance of such developmental projects shall be subject to the condition that the same is recommended by the Gram Sabha.

2. For implementation of the provisions of sub-section (2) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the Central Government hereby lays down the following procedure:-

2.1 **Definitions.**- In the procedure, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

(b) "District Level Committee" shall mean the Committee constituted under Rule 7 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights), Rules, 2008;

(c) "Forest Land" shall have the same meaning as defined in Section 2(d) of the Act;

(d) "Gram Sabha" shall have the same meaning as defined in Section 2(g) of the Act;

(e) "Nodal Officer" means any officer not below the rank of Conservator of Forests, authorized by the State Government to deal with matters relating to diversion of forest land under the Act;

(f) "Section" means a section of the Act;

(g) "User Agency" means a Department of the Central or State Government or a District Panchayat making a request for diversion of forest land for developmental projects managed by the Government as specified in sub-section (2) of Section 3 of the Act;

(h) "Village" shall have the same meaning as defined in Section 2(p) of the Act.

2.2 Submission of the proposals seeking approval for diversion of the forest land under sub-section (2) of Section 3 of the Act.-

(i) Every User Agency, that wants to use any forest land for any developmental project, specified in Section 3(2) of the Act, shall make a proposal in the appropriate Form appended, i.e. Form 'A', and place it before the general assembly of the concerned Gram Sabha for adopting a resolution to that effect.

(ii) A quorum of atleast half the members of the Gram Sabha should be present for adopting a resolution recommending the diversion of forest land.

(iii) On receipt of a recommendation of the proposal by the Gram Sabha, the User Agency will submit the proposal to the concerned Range Forest Officer (RFO) of the area, along with the resolution adopted by the Gram Sabha.

(iv) The Range Forest Officer (RFO) concerned will carry out site inspection of the proposed area to opine on the acceptance of the proposal.

(v) The Range Forest Officer (RFO) concerned will submit the proposal and his recommendation to the concerned Divisional Forest Officer (DFO) in Form 'B' appended, along with his site inspection report and his opinion within three weeks from the date of receipt of complete proposal from the User Agency.

(vi) The Divisional Forest Officer (DFO) concerned will consider the proposal, and if he agrees, he will accord his approval and communicate his decision to the Range Forest Officer (RFO) concerned with a copy to the

Chairperson of the District Level Committee, within four weeks from the date of receipt of the proposal from the RFO.

(vii) After receipt of the approval from the concerned DFO, the RFO will demarcate the area of the forest land approved for diversion and hand over the same to the User Agency under the supervision of the Gram Sabha.

(viii) If the Divisional Forest Officer (DFO) concerned does not approve the proposal submitted by the User Agency through the Range Forest Officer (RFO), he shall forward the proposal to the District Level Committee for a final decision.

(ix) The District Level Committee will meet and take a final decision, with at least 1/3 quorum, and convey the decision to the DFO for implementation and correction of records and map if the proposal is accepted.

(x) The approval for diversion of the forest land by the Divisional Forest Officer (DFO) or by the District Level Committee, as the case may be, shall be accorded subject to the condition that the land diverted for a specific purpose shall not be allowed to be used for any other purpose and the diverted land would be appropriated by the Forest Department if the activity for which the land was diverted is not started within one year of handling over the land to the User Agency.

(xi) The DFO concerned will submit a quarterly report of the approvals accorded for diversion of forest land under Section 3(2) of the Act to the Nodal Officer of the State who, in turn, will furnish the consolidated information quarterly to the Secretary, Tribal Welfare Department who will, in turn send the consolidated report to the Ministries of Tribal Affairs and Environment & Forests.

(xii) The Nodal Officer will also monitor the progress.

****

APPENDIX

Form for seeking prior approval for diversion of forest land for non-forest purposes for the facilities managed by the Government under sub-section (2) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

FORM-A

[See para 2.2(i)]

(To be filled up by the User Agency)

1. Project details:

   (i) Short narrative of the proposed project / scheme for which the forest land is required.

   (ii) Details of the forest land required (two options to be indicated)

      a. Location – Survey No./ Compartment No.

      b. Extent of the area (in hectare)

      c. Forest Division

      d. Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale map.

   (iii) Justification for locating the project in proposed forest land(s)

   (iv) Number of trees to be felled (per hectare) and number that will be kept standing

2. Detailed, purpose-wise break-up of the total forest land required with proposed building/activity area map.

3. Confirmation that User Agency will plant at least twice the number of trees to be felled in the project or adjacent area and the amount to be provided annually for protection and maintenance of these plants for at least five years (Details to be enclosed).

4. Recommendation of the Gram Sabha – Accepted/Rejected
[Please tick (√), as the case may be]. [Copy of the Gram Sabha resolution to be attached.]

Signature of the authorized person for the User Agency

(Name in Block letters)

____

Address____________________________________

Date: ______________
Place: _____________

Serial No. of proposal _________________________

(To be filled up by the Range Forest Officer with date of receipt)

FORM-B

[See para 2.2(iv)]

(To be filled by the concerned Range Forest Officer)

Serial No. of proposal ____________________

1. Location of the project / Scheme:
   - (i) State / Union Territory
   - (ii) District.
   - (iii) Forest Division
   - (iv) Proposed forest land(s) (two options to be indicated)
     - i. Location – Survey No./ Compartment No.
     - ii. Extent of the area (in hectare)
   - (v) Whether part of biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc.

2. Site inspection report (to be attached), containing the date of visit, and justified opinion on the acceptability of the proposal (separately for the two options).

3. Specific recommendation of the Range Forest Officer for acceptance or otherwise of the proposal and the better option.

Signature of the RFO

Name

____

Official Seal

Date: ______________

Place: ______________

Accepted / Not accepted
with reasons to be recorded

Signature of the DFO

Name ________________________________

Official Seal

Date: ______________

Place: ______________

*****

पत्रांक 23011/15/2008-एस.जी.-2 का अनुलग्न
तिथि: 18 मई, 2009

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2)के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यविधि ।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी भी बात के रहते हुए भी, केन्द्र सरकार उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट सरकार द्वारा प्रबंधित कतिपय सुविधाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान करेगी, जिसमें प्रति हेक्टेयर 75 पेड़ से अधिक नहीं काटे जाएंगें, बशर्ते वन भूमि के इस प्रकार के विपथन की अनुमति तभी होगी, यदि :-

(1) उपर्युक्त उपधारा में उल्लिखित उद्देश्यों हेतु विपथित भूमि प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम हो; तथा
(2) ऐसी विकास परियोजनाओं को इस शर्त के अधीन क्लीयरेंस दी जा सकती है कि उसे ग्राम सभा की संस्तुति प्राप्त हो ।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नांकित कार्यविधि बनाई है -

2.1 परिभाषा- इस कार्यविधि में यदि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

क 'अधिनियम' का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है ;

ख 'जिला स्तरीय समिति' का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 7 के अंतर्गत गठित समिति है ;

ग 'वन भूमि' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;

घ 'ग्राम सभा' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (छ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;

ड. 'नोडल अधिकारी' का अर्थ कोई भी अधिकारी जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के विपथन से संबंधित मामले को निपटाने हेतु प्राधिकृत किया हो ;

च 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

छ 'यूजर एजेंसी' का अर्थ एक केन्द्रीय विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा एक जिला पंचायत है जो इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (2) में यथा विर्निदिष्ट अनुसार सरकार द्वारा प्रबंधित विकास परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु आग्रह से है ;

ज 'ग्राम' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (त) में यथा परिभाषित अर्थ से है

2.2 इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों की प्रस्तुति -

1. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत विर्निदिष्ट अनुसार किसी विकास परियोजना हेतु वन भूमि का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक यूजर एजेंसी एक उचित प्रारूप जो फार्म सं. (क) के रूप में संलग्न है, में प्रस्ताव देंगे तथा यह प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभा के सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह इस पर संकल्प ले सके ।
2. वन भूमि के विपथन हेतु संस्तुति देने के लिए संकल्प हेतु ग्राम सभा में कम से कम कुल संख्या के आधे सदस्यों की न्यूनतम संख्या का कोरम अनिवार्य है ।
3. ग्राम सभा की संस्तुति की प्राप्ति के उपरांत यूजर एजेंसी उस प्रस्ताव को उस क्षेत्र के रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) के समक्ष प्रस्तुत करेंगें जिसमें ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प भी संलग्न होंगे ।
4. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव क्षेत्र के स्थल का दौरा करेंगें तथा प्रस्ताव की स्वीकृति पर अपने विचार देंगें ।
5. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) को फार्म ख के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा यूजर एजेंसी से प्राप्त प्रस्ताव की तिथि के तीन सप्ताह के भीतर स्थल दौरा निरीक्षण रिपोर्ट एवं अपने विचार प्रस्तुत करेंगें ।
6. संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव पर विचार करेंगें तथा यदि वह सहमत होंगें तो अपनी सहमति एवं अनुमोदन संबंधी रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) को आर.एफ.ओ. से प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगें ।
7. संबंधित डी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आर.एफ.ओ. उक्त क्षेत्र में वन भूमि को चिन्हित कर उसे ग्राम सभा के निरीक्षण के अधीन उक्त यूजर एजेंसी को भूमि विपथन को मान्यता देते हुए सौंप देंगें ।
8. यदि संबंधित मंडल अधिकारी यूजर एजेंसी द्वारा रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देते हैं तो अंतिम निर्णय हेतु वह जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेज देंगें ।
9. जिला स्तरीय समिति न्यूनतम 1/3 कोरम के साथ बैठक कर एक अंतिम निर्णय लेकर यदि प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो अभिलेख तथा नक्शे में सुधार को क्रियान्वित करने हेतु डी.एफ.ओ. को अपना निर्णय सूचित कर सकती है ।
10. मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) अथवा जिला स्तरीय समिति द्वारा वन भूमि के विपथन को अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि वन भूमि का विपथन एक विर्निदिष्ट उद्देश्य के लिए अनुमत्य होगा तथा उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार विपथित भूमि जिस उद्देश्य से इसका विपथन किया गया था, उस उद्देश्य हेतु यूजर एजेंसी को भूमि सौंपने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू नहीं किए जाने की स्थिति में वन विभाग पुनः उस भूमि को विनियोजित करेगा ।
11. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदनों की तिमाही रिपोर्ट डी.एफ.ओ. द्वारा उस राज्य के नोडल अधिकारी को दी जाएगी तथा वह समेकित तिमाही सूचना सचिव, जनजाति कल्याण विभाग को देंगें, तथा आगे वे समेकित सूचना जनजातीय कार्य एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों को देंगें ।
12. नोडल अधिकारी भी प्रगति की निगरानी करेंगें ।

....

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) प्रस्तावित परियोजना/ योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन ।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या

ख. क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)

ग. वन मंडल

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं;

(3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता

(4) प्रत्येक हैक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए रखे जाने वाले वृक्षों की संख्या

2. प्रस्तावित भवन/ गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण ।

3. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएगी (विवरण संलग्न करें) ।

4. ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/ अस्वीकृत

(जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं) । (ग्राम सभा के संकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम) ....

पता..

तिथि ....

स्थान ....

प्रस्ताव की क्रम संख्या ....

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

प्रपत्र-ख

(पैरा 2.2(4) देखें)

(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या ....

1 परियोजना/ योजना का स्थान

(1) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
(2) जिला
(3) वन विभाग
(4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं)
   क स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या
   ख क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)
(5) क्या यह जैविक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है ।

2. प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग-अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण दौरा किए जाने की तिथि का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें ।

3. प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की विनिर्दिष्ट संस्तुति तथा बेहतर विचार ।

रेंज वन अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

कार्यालय मुहर...... ....

तिथि ....

स्थान ....

कारण का उल्लेख करते हुए स्वीकृत/ अस्वीकृत

वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ....

कार्यालय मुहर ....

तिथि ....

स्थान ....

....